न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः—सुनिता यादव, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्याः—49/2018 प्रार्थना पत्र

श्री कैलाश चन्द्र पिता शंकरलाल लखारा, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील भीलवाड़ा
श्री कमलेश पिता शंकरलाल लखारा, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---प्रार्थीगण

बनाम

श्री मोहन पिता भैरूलाल सुथार, उम्र बालिग, निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री सुखदेव पिता बद्रीलाल शर्मा, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री बंशीलाल पिता बालूलाल शर्मा, उम्र बालिग निवासी महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—~~21~~18.5.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम महुआकंला पटवार हल्का महुआकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते/ संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1835 रकबा01 बीघा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खाते की की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5.3.2018 को पंजीबद्व किया जाकर ण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में ो प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण कार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार ा जाकर ग्राम महुआकंला पटवार हल्का महुआकंला .तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते/ क्त खातों की आराजी नम्बर 1835 रकबा01 बीघा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अभिलेख निरीक्षक भीलवाड़ा को 300/–रूपये (अक्षरेः–तीन सौ रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर श्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

लेपिः–तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner